"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 211] रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 अगस्त 2010—श्रावण 11, शक 1932

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त, 2010 (श्रावण 11, 1932)

क्रमांक-8689/वि. स./विधान/2010.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन विधेयक, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010), जो दिनांक 2 अगस्त, 2010 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 24 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन विधेयक, 2010

विषय सूची

खण्ड

अध्याय-एक

अध्याय-दो

अध्याय-तीन

अध्याय-चार

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 24 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन विधेयक, 2010

उपचर्यागृहों तथा रोगोपचार संबंधी स्थापना के अनुज्ञापन तथा उनके द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के मानकीकरण एवं उन्नयन की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए तथा उससे संबंधित विषयों को उपबंधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-एक

1\. (क) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम, 2010 कहलाएगा. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.**

(ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(ग) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2\. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— **परिभाषाएं.**

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम, 2010.

(ख) "क्लिनिकल स्थापना" से अभिप्रेत है, मेडिकल लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी स्थापना अथवा क्लिनिक अथवा अस्पताल अथवा कोई अन्य स्थापना जो इनमें से किसी के भी सदृश्य हो और जिस किसी नाम से जाना जाता हो.

(ग) "क्लिनिक" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा परिसर जिसमें किसी बीमार के इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध हों और जो उनके प्रवेशन के लिए उपयोग में लाया जाता हो तथा ठहरने के लिए न हो.

(घ) "अस्पताल" से अभिप्रेत है, ऐसा कोई परिसर जिसमें बीमारी के इलाज की सुविधाएं हों और जो उनके प्रवेशन या ठहरने के लिए उपयोग में लाया जाता हो.

(ङ) "प्रसूति गृह (मेटरनिटी होम)" से अभिप्रेत है, ऐसा कोई परिसर जो गर्भवती महिलाओं अथवा प्रसव हेतु अथवा शिशु जन्म के तत्काल बाद महिलाओं के प्रवेशन के लिए उपयोग किया जाता हो या उपयोग किए जाने हेतु आशयित हो.

(च) "मेडिकल लेबोरेटरी" से अभिप्रेत है, योग्यता प्राप्त पैथालॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट द्वारा संचालित ऐसी कोई स्थापना जहां बायो-मेडिकल टेस्ट, जैसे हेमेटोलाजी, बायोकेमिस्ट्री, सेरोलॉजिकल टेस्ट, बैक्टिरियोलॉजिकल, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, जेनेटिक परीक्षण अथवा कोई अन्य डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता हो.

(छ) "उपचर्या गृह" से अभिप्रेत है, एक ऐसा स्थान जहां सर्जरी रहित अथवा सर्जरी सहित अथवा प्रसूति कार्य का संचालन बीमारी के उपचार के लिए अंतःरोगी के रूप में एडमिशन (भर्ती) के लिए अन्तःरोगी सुविधाओं के साथ मरीजों का उपचार किया जाता हो तथा जिसमें अन्य स्त्री

रोग संबंधी आपरेशन भी शामिल है जहां महिलाओं को स्टरलाइजेशन, हिस्टिरेक्टॉमी अथवा गर्भ के चिकित्सकीय समापन करने इत्यादि, रात्रिकालीन अंत:रोग सुविधाओं के साथ अथवा के बिना, के प्रयोजन के लिए प्रवेश तथा स्थान दिया जाता हो. उपचर्या गृह में कोई अंत:रोगी मेडिकल क्लिनिक, उपचर्यागृह, मेटरनिटी होम, अस्पताल, वृद्धाश्रम और डे-केयर केन्द्र (कोई हस्तक्षेप जहां पर्यवेक्षण और सतत् सुरक्षा/निगरानी की आवश्यकता हो) शामिल होगे.

(ज) "फिजियोथेरेपी स्थापना" से अभिप्रेत है, एक ऐसी स्थापना जहां मालिश (मसाज), इलेक्ट्रो-थेरेपी, हाइड्रो-थेरेपी, मेडिकल जिम्नास्टिक अथवा कोई अन्य इसी प्रकार की प्रक्रिया, रोग के निदान के प्रयोजन के लिए अथवा अशक्तता या सुधार के लिए हो चाहे वह आधुनिक चिकित्सा अथवा भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से सामान्यतया कार्यान्वित किया जाता हो.

(झ) "अर्हता प्राप्त चिकित्सा व्यवसायी" से अभिप्रेत है, चिकित्सा व्यवसायी के पंजीयन हेतु तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भारत के किसी भी राज्य में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी.

(ञ) "अर्हता प्राप्त दन्त चिकित्सक" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो डेण्टल कौंसिल अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हता रखता हो.

(ट) "रेडियोलॉजिस्ट" से अभिप्रेत है, चिकित्सा व्यवसायी जो रोग के निदान (डायग्नोसिस) और उससे संबंधित बीमारी के इलाज हेतु एक्सरे और रेडिएशन जैसे इमेजिंग टेक्नालॉजी का अध्ययन और अनुप्रयोग करते हों.

(ठ) "अर्हता प्राप्त मिडवाइफ" से अभिप्रेत है, कोई मिडवाइफ अथवा सहायक नर्स मिडवाइफ जो भारतीय नर्सिंग कौंसिल अधिनियम, 1947 (1947 का सं. 48) की अनुसूची के भाग-I के खण्ड-ख या ग में, यथास्थिति सम्मिलित कोई भी अर्हता रखते हों तथा जो राज्य में मिडवाइफ के रूप में अथवा सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में नामांकित हो.

(ड) "अर्हता प्राप्त नर्स" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नर्सिंग कौंसिल अधिनियम, 1947 (1947 का सं. 48) की अनुसूची के भाग-I के खण्ड-क में सम्मिलित अर्हताएं रखता हो तथा जो नर्स के रूप में नामांकित हो.

(ढ) "रजिस्टर (पंजी)" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर (पंजी) तथा शब्द "पंजीकृत" और "पंजीयन" का तदानुसार अर्थ लगाया जायेगा.

(ण) "पर्यवेक्षी प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन यथाविनिर्दिष्ट पर्यवेक्षण प्राधिकारी के सभी अथवा किसी भी कृत्यों के निष्पादन के लिए राज्य शासन द्वारा अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति या प्राधिकारी.

(त) "सूचनीय रोग" से अभिप्रेत है, ऐसा रोग जिसे पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अपने क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करने की अपेक्षा की जाती है.

(थ) "प्रशिक्षित नर्स" से अभिप्रेत है, नर्स जिन्होंने शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थानों में छ: माह की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो. वह केवल उपरोक्त यथा परिभाषित अर्हता प्राप्त नर्स के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेंगी.

अध्याय-दो

अनुज्ञा-पत्र (लायसेंस). 3. कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, निगमित निकाय अथवा संघ (एसोसिएशन)/भागीदारी फर्म (पार्टनरशिप फर्म) जो इस अधिनियम में यथा परिभाषित उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना स्थापित करने के इच्छुक हैं,

पर्यवेक्षी प्राधिकारी को ऐसे विवरणों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेंगे जैसा कि विहित किया जाये. पर्यवेक्षी प्राधिकारी को यदि यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञा पत्र की अभिप्राप्ति हेतु आवेदक द्वारा पात्रता शर्तों को पूरा कर लिया गया है, तो यथास्थिति उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना को अनुज्ञा पत्र प्रदान करेगा.

परन्तु यह और भी कि ऐसे सभी उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापनाएं जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पहले ही अस्तित्व में हो तो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के 90 दिवस के भीतर पर्यवेक्षी प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेंगे. पर्यवेक्षी प्राधिकारी को यदि यह समाधान हो जाता है कि आवेदक ने इस संबंध में निर्धारित शर्तों को पूरा कर लिया है तो उन्हें अनुज्ञा पत्र प्रदान करेगा.

अनुज्ञा-पत्र अभिप्राप्त करने में असफल होने पर अर्थदण्ड (जुर्माना).

4. जो कोई भी इस अधिनियम में यथा परिभाषित उपचर्या गृह अथवा क्लिनिकल स्थापना, अनुज्ञा पत्र अभिप्राप्त किये बिना चलाता है, तो 20,000 रुपये के जुर्माने से दण्डनीय होगा.

अनुज्ञा-पत्र अभिप्राप्ति के लिए शुल्क.

5. अनुज्ञा पत्र हेतु पर्यवेक्षी प्राधिकारी को दिए जाने वाले प्रत्येक आवेदन में ऐसा विवरण, सूचना अन्तर्विष्ट की जायेगी एवं ऐसा शुल्क संलग्न किया जायेगा जैसा कि इस संबंध में निर्धारित किया जाये.

अनुज्ञा पत्र की मंजूरी या अन्यथा.

6. अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन के परीक्षण के आधार पर, पर्यवेक्षी प्राधिकारी, आवेदक को अनुज्ञा पत्र प्रदान करेगा अथवा आवेदन निरस्त करेगा यदि यह पाया जाता है :—

(क) कि आवेदक अथवा उसके द्वारा उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना में नियोजित कोई व्यक्ति, चाहे शैक्षणिक विशेषज्ञता होने के कारण हो या अन्यथा हो, जैसा कि उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना आवेदन में नामित (दिया गया) हो, इस प्रकार के विवरणों के उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना चलाने के लिए या नियोजित किये जाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है; अथवा

(ख) कि आवेदक अथवा उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना, उन शर्तों को पूरा नहीं करते हों जो इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन विहित की गई हों; अथवा

(ग) कि आवेदक का वास्तविक उद्देश्य अपने उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना को असामाजिक/गैर कानूनी अथवा अनैतिक प्रयोजनों अथवा दोनों के लिए उपयोग में लाने का या उपयोग में लाये जाने के लिए अनुमति देने का है; अथवा

(घ) प्रसूति गृह से भिन्न उपचर्यागृह के मामले में, कि उपचर्यागृह उसमें निवास करने वाले अर्हता प्राप्त चिकित्सा व्यवसायी के प्रभार के अधीन नहीं है अथवा नहीं होगा और उन व्यक्तियों जिनको उसमें प्रवेश तथा स्थान दिया जाता है, उसमें निवास करने वाली अर्हता प्राप्त नर्स के अधीक्षण के अधीन नहीं है अथवा नहीं होगा; अथवा

(ङ) प्रसूति गृह के मामले में, कि ऐसे प्रसूति गृह अर्हता प्राप्त मिड वाईफ के प्रभार के अधीन नहीं है अथवा नहीं होगा तथा यह कि प्रसूति (बच्चे के जन्म) के पूर्व, प्रसूति के समय या प्रसूति के पश्चात् प्रत्येक स्त्री पर या किसी बच्चे के जन्म पर सेवा परिचर्या, उसमें निवास करने वाली अर्हता प्राप्त मिड वाईफ के अधीक्षण के अधीन नहीं है या नहीं होगी; अथवा

(च) कि स्थिति, सन्निर्माण, स्थान (एकोमोडेशन), कर्मचारीवृन्द अथवा उपस्कर संबंधी कारणों के लिए उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना, जैसा कि उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना आवेदन में उल्लिखित हो, इस प्रकार के विवरणों के उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना, उपयोग में लाये जाने के लिए उपयुक्त नहीं है और ऐसे प्रत्येक मामले में, जहां आवेदन निरस्त किया जाता है, निरस्त करने के आधारों को अभिलिखित करेगा.

अनुज्ञा पत्र हेतु शर्तें.

7. धारा 6 (क) के अधीन मंजूर किये जाने वाला प्रत्येक अनुज्ञा पत्र, ऐसे निबंधनों पर होगा जो कि विहित किये जायें और ऐसे निबंधनों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अपेक्षित की जा सकेंगी :—

(क) सुरक्षा के लिए ऐसे पूर्वोपाय का अवलोकन किया जाना है कि उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना, गैर कानूनी/असामाजिक अथवा अनैतिक प्रयोजनों के लिए अथवा दोनों के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती;

(ख) ऐसे स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी उपायों का किया जाना तथा ऐसे स्थान की व्यवस्था किया जाना जो कि पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये;

(ग) ऐसे न्यूनतम उपस्कर का प्रबंध किया जाना जो कि पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाये;

(घ) प्रत्येक अनुज्ञप्त उपचर्यागृह, ऐसे अभिलेखों का रखरखाव (अनुरक्षण) करेगा जैसा कि विहित किया जाये, तथा इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन उसके द्वारा सम्यक् रूप से सशक्त पर्यवेक्षी प्राधिकारी अथवा किसी अन्य अधिकारी को इन अभिलेखों के जांच और परीक्षण हेतु प्रस्तुत करेंगे. जन्म, मृत्यु, गर्भपात, (चिकित्सीय गर्भ समापन) के संबंध में सावधिक सूचना के अलावा सूचनीय रोगों और कोई अन्य सूचना, जब अपेक्षित हो अथवा जैसा विहित हो, पर्यवेक्षी प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे.

अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण.

8. इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा (6) के अधीन मंजूर अनुज्ञा पत्र की आरंभिक वैधता 5 वर्षों की होगी.

प्रत्येक पांच वर्षों के बाद इस अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण हेतु पर्यवेक्षी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जो प्रक्रिया, जैसा कि विहित किया जाए, का अनुसरण करते हुए अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण या अन्यथा कर सकेगा.

अनुज्ञा पत्र का निरस्तीकरण अथवा निलम्बन.

9. यदि किसी भी समय, पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि,

(1) अनुज्ञप्त उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना ने इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के किसी प्रावधान अथवा अनुज्ञापन के समय विनिर्दिष्ट किसी शर्त का उल्लंघन किया है अथवा अनुपालन नहीं किया है; अथवा

(2) किसी अनुज्ञप्त उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना को इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का सिद्ध दोष पाया है, तो वह उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, अनुज्ञा पत्र को निरस्त या निलम्बित कर सकेगा.

(3) **अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने से पूर्व नोटिस दिया जाना**—इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पर्यवेक्षी प्राधिकारी उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना को 30 दिनों की नोटिस देंगे जिनका अनुज्ञा पत्र निरस्त या निलंबित किया जाना हो. नोटिस में ऐसे कारण तथा आधार अंतर्विष्ट होंगे जिसके आधार पर अनुज्ञापत्र को निरस्त या निलम्बित किया जाना है. यदि नोटिसी इस प्रकार अनुरोध करता है तो नोटिस के बचाव में सुनवाई के लिए, निजी सुनवाई भी मंजूर की जा सकेगी.

यदि उपरोक्त उल्लिखित आगामी प्रक्रिया और नोटिसी के प्रकरण की सुनवाई के बाद, पर्यवेक्षी प्राधिकारी, अनुज्ञा पत्र को निरस्त या निलम्बित करने का निर्णय लेते हैं तो वह इस संबंध में स्पष्ट आदेश पारित करेगा जिसमें अनुज्ञा पत्र को ऐसे निरस्त या निलम्बित करने के कारणों को अन्तर्विष्ट करेगा.

अपील.

10. अनुज्ञा पत्र के अस्वीकार, निरस्त अथवा निलंबन करने संबंधी पर्यवेक्षी प्राधिकारी के आदेश से व्यथित

कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख के बाद 30 दिनों की कालावधि के भीतर राज्य शासन को अपील कर सकेगा.

(क) राज्य शासन, इस सम्बन्ध में इसके द्वारा सम्यक् रूप से सशक्त किसी प्राधिकारी के मार्फत अपील की सुनवाई करेगा.

(ख) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस सम्बन्ध में राज्य शासन के आदेश के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी.

उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना का निरीक्षण.

11. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, इस संबंध में राज्य शासन द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई भी अधिकारी :—

(क) किसी भी समय, रात हो या दिन, सूचना के साथ अथवा सूचना के बिना, किसी भी ऐसे स्थान या स्थापना में, प्रवेश कर सकता है, जिसके बारे में उसे विश्वास करने का कारण है कि उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना के रूप में उपयोग किया जा रहा है.

(ख) ऐसे किसी भी स्थान अथवा स्थापना का परीक्षण कर सकता है और उसमें पाये गये किसी उपस्कर, वस्तु अथवा दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा और ऐसे किसी भी उपस्कर, वस्तु या दस्तावेज को परीक्षण, विश्लेषण, अन्वेषण या साक्ष्य के प्रयोजन के लिए जैसा कि आवश्यक समझे अधिग्रहण (जप्त) कर सकेगा तथा वहां से बाहर ले जा सकेगा और उन्हें ऐसी युक्तियुक्त कालावधि के लिये प्रतिधारित कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे.

(ग) ऐसे स्थान या स्थापना में पाये जाने वाले किसी व्यक्ति से ऐसी पूछताछ तथा ऐसे प्रश्न कर सकेगा जैसा कि वह अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे कि क्या यह स्थान या स्थापना उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना के रूप में उपयोग में लाई जा रही है या नहीं.

(2) परन्तु यह और कि, यदि कोई व्यक्ति विधिवत् रूप से सशक्त प्राधिकारी को उसके कर्तव्य पालन में बाधा डालता है तो, यह भारतीय दण्ड संहिता (1860 का सं. 45) की सुसंगत धारा के अधीन दण्डनीय होगा.

अध्याय-तीन

दण्ड और जुर्माना.

12. (क) (1) इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन जो कोई भी अनुज्ञा पत्र के सम्बन्ध में बनाये गये प्रावधान का उल्लंघन करता है तो 20,000 रुपये के जुर्माने से दण्डनीय होगा.

(2) यदि उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों में यथानिर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो 20,000 रुपये के जुर्माने से दण्डनीय होंगे.

(3) यदि उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना, अभिलेख या जानकारी (सूचना) प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं जो इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन विधिवत् रूप से प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षित है तो प्रत्येक अपराध के लिए 5000 रुपये के जुर्माने से दण्डनीय होंगे.

(ख) **इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि,**—यदि उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना, धारा 12 (क) के अधीन कोई अपराध करता है तो केवल उनके पहले अपराध के लिए निर्धारित किये गये जुर्माने से दण्डनीय होंगे.

परन्तु यह और कि, यदि उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना को धारा 12 (क) के अधीन किसी अपराध के लिए दूसरी बार दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो तीन वर्ष तक के कारावास, अथवा 50,000 रुपये के जुर्माने, अथवा दोनों के लिए भागी होंगे.

उपचर्यागृह/क्लिनिकल स्थापना के द्वारा जानबूझ कर की गई उपेक्षा के संबंध में प्रावधान.

13. (अ) यदि किसी उपचर्यागृह/क्लिनिकल स्थापना के द्वारा जानबूझकर उपेक्षा का कोई कृत्य किया जाता है तो यह कारावास से जिसकी अवधि छः माह से कम की नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्षों तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा तथा जुर्माने से भी जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

(ब). यदि कोई भी व्यक्ति रोगी के उपचार/भर्ती के संबंध में उपचर्यागृह/क्लिनिकल स्थापना के द्वारा जानबूझकर की गई उपेक्षा के कृत्य से व्यथित होता है, तो वह छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा सम्पत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010) की धारा 7 (1) के अंतर्गत गठित अपीलीय प्राधिकारी/समिति के समक्ष ऐसी रीति से परिवाद/शिकायत कर सकता है, जैसा कि विहित किया जाए.

(स) अपीलीय प्राधिकारी/समिति ऐसे परिवाद/शिकायत की प्राप्ति पर उसकी जांच की कार्यवाही करेगा तथा दोनों पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उस पर निष्कर्ष के साथ अपनी संस्तुतियां संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ शासन को प्रेषित करेगा.

(द) संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, अपीलीय प्राधिकारी से ऐसे प्रतिवेदन की प्राप्ति पर उसकी जांच करेगा तथा यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि उपचर्यागृह/क्लिनिकल स्थापना के विरुद्ध स्वैच्छिक उपेक्षा का कृत्य प्रमाणित है, तो वह उपचर्यागृह/क्लिनिकल स्थापना के विरुद्ध धारा 13 (अ) के अंतर्गत यथा विहित कानूनी कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु अग्रसर होगा.

पंजीकृत सोसायटी द्वारा अपराध.

14. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध, कम्पनी अथवा निगमित सोसायटी अथवा संघ (एसोसिएशन) द्वारा किया गया हो साथ ही ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के किये जाने के समय अपने व्यवसाय के संचालन का प्रभारी हो या उसके प्रति उत्तरदायी हो, अपराध का दोषी समझा जायेगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा तदनुसार दण्डित किये जाने का भागी होगा.

परन्तु, इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किये गये किसी भी दण्ड के लिए भागी नहीं बनायेगी. यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ था या कि ऐसे अपराध के किये जाने की रोक के लिए उसने सम्यक् तत्परता बरती थी.

(2) उपरोक्त में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन, अपराध किसी कम्पनी या सोसायटी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाता है कि अपराध कम्पनी के किसी संचालक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति अथवा मौनानुकूलता से किया गया है अथवा यह कि अपराध उनकी ओर से की गई किसी उपेक्षा (लापरवाही) के कारण हुआ है तो ऐसे संचालक, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी को भी इस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित किये जाने का भागी होगा.

इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए न्यायालय की सक्षमता.

15. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का विचारण नहीं करेगा.

अपराध की प्रकृति.

16. इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होंगे.

अध्याय–चार

17. (1) किसी ऐसी बात के द्वारा जो कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई हो या किया जाना आशयित हो, किसी कारण से की गई या किसी कारण से की जाने वाली किसी हानि या नुकसान के संबंध में शासन के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी. **सद्भावना में की गई कार्यवाही का संरक्षण.**

(2) किसी भी प्राधिकारी या राज्य शासन द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी भी बात के संबंध में जो, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई हो या किया जाना आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

18. (1) राज्य शासन अधिसूचना द्वारा तथा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा. **नियम बनाने की शक्ति.**

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त या किसी एक विषय के लिए उपबंधित किये जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 3 के अधीन दिए जाने वाले आवेदन का प्ररूप ऐसी तारीख जिस पर ऐसा आवेदन दिया जाना है, तथा अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण अथवा ऐसे अनुज्ञा पत्र के लिये भुगतान की जाने वाली फीस.

(ख) विशिष्टियां जो धारा 5 के अधीन आवेदन में अन्तर्विष्ट होंगी और शुल्क जो ऐसे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा.

(ग) शर्तें जिन्हें आवेदक तथा उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना, धारा 3 और अनुज्ञा पत्र के प्रमाण पत्र के प्ररूप के अधीन पूरा करेंगे.

(घ) अधिनियम की धारा 10 के अधीन अपील हेतु भुगतान किए जाने वाले शुल्क तथा अपील हेतु प्रक्रिया.

(ङ) इस अधिनियम के अधीन अनुरक्षित किए जाने वाले रजिस्टर या रजिस्टरों का प्ररूप.

(च) उन मरीजों के जिन्हें उपचर्यागृह में प्रवेश दिया गया है, तथा प्रसूति गृह के मामले में, उपचर्यागृह में होने वाले गर्भपात, गर्भस्रावों या मृत बच्चों (स्टिल बर्थ्स) के तथा उसमें जन्में बच्चों के और इस प्रकार जन्में ऐसे बच्चों के जो उपचर्यागृह से किसी माता या पिता, संरक्षक या रिश्तेदार की अभिरक्षा या देखभाल में रखने की अपेक्षा अन्यथा हटाये जाते हैं, अभिलेखों का रखा जाना.

(छ) स्थान, स्वच्छता और अन्य सुविधाओं तथा न्यूनतम उपस्करों के संबंध में शर्तें.

(ज) अन्य कोई विषय जो विहित किया जाना हो या किया जा सकेगा.

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाये जाने के पश्चात् शीघ्र ही, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जायेगा.

19. (क) केन्द्र अथवा राज्य शासन अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रशासित कोई उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना, और/अथवा **इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त समझे जाने वाले संस्थान.**

(ख) भारतीय उन्माद अधिनियम (इंडियन ल्यूनेसी एक्ट), 1912 (1912 का सं. 4) के अधीन स्थापित अथवा अनुज्ञप्त कोई आश्रम, अथवा.

(ग) कुष्ठ अधिनियम, (लेपर्स एक्ट) 1893 (1893 का सं. 3) के अधीन नियुक्त, स्थापित अथवा अनुरक्षित कोई कुष्ठ आश्रम, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त समझे जाएंगे.

निरसन. 20. छत्तीसगढ़ उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 (1973 का सं. 47) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रदेश के नागरिकों को राज्य में निजी क्षेत्र में स्थापित उपचर्यागृह (नर्सिंग होम) व रोगोपचार संबंधी स्थापनाओं (क्लीनिक्स) में गुणवत्तायुक्त उपचार की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु छत्तीसगढ़ उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन विधेयक, 2010 लाया जा रहा है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर

दिनांक : 29 जुलाई, 2010

अमर अग्रवाल
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन विधेयक, 2010 के खण्ड 18 के अधीन राज्य शासन को अधिनियम के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, लेकिन यह सामान्य स्वरूप की है और अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत ही प्रयोग में लाई जा सकती है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.